पहचान दस्तावेजो के विषय में सूचना का अधिकार का कैसे इस्तमाल करें?

<u>शब्दकोष</u>

I. **केंद्रीय सूचना आयोग** आरटीआई अधिनियम की धारा -2 (खमें तहत परिभाषित। केंद्रीय सूचना (आयोग केंद्र सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

II. **सूचना** धारा - 2(च ("सचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूनेमाडल ., आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

III. **लोक प्राधिकरण** -2 (ज)"लोक प्राधिकारी" से.

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान: मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा-

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,

i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

ii. कोई ऐसा गैरसरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से-उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

IV. **सूचना का अधिकार** -2(ञ ("सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है

i. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

ii. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना:

iii. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

iv. डिस्केट फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्टानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना; (ट ("राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा)1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत

V. **राज्य सूचना आयोग** आरटीआई अधिनियम की धारा -2 (केके (तहत परिभाषित। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के अधीन लोक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

1. पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद 'आरटीआई' के रूप में संदर्भितसार्वजनिक प्राधिकरणों (से मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 2(च (

और अधिनियम की धारा2(जके तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत परिभाषित किया गया है। संबंधित (-प्रस्तुत किए गए हैं :अनुभाग नीचे पुन

सूचना धारा -2(च ("सचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ईमेल-, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूनेमाडल ., आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

लोक प्राधिकरण -2(ज ("लोक प्राधिकारी" से-

(क(संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख(संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग(राज्य विधान: मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा-

(घ(समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,

i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

ii. कोई ऐसा गैरसरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से - उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

2. पहचान दस्तावेज क्या हैं?

दूरसंचार विभाग ने उन दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची प्रदान की है जो पहचान के स्वीकार्य प्रमाण हैं। नीचे कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले पहचान दस्तावेज दिए गए हैं-

i. आधार कार्ड
ii. पासपर्ट
iii. भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड
iv. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड
v. ड्राइविंग लाइसेंस

3. क्या आप आरटीआई के तहत पहचान दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं?

हां, कोई व्यक्ति आरटीआई अधिनियम के तहत अपने स्वयं के पहचान दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकता है लेकिन मांगी गई प्रति तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित नहीं होनी चाहिए। किसी को केवल अपने स्वयं के पहचान दस्तावेज की स्थिति, या विवरण प्राप्त करने के लिए ही आरटीआई आवेदन दाखिल करना चाहिए और यथासंभव अधिक से अधिक प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए ताकि सूचना अधिकारी के लिए मांगे गए दस्तावेज़ की पहचान करना आसान हो जाए।

यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार (हिन्दी अनुवाद):

> **की गोपनीय (निवासी का व्यक्तिगत डेटा) जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा..." प्रकृति को देखते हुए, केवल वही निवासी, जिससे डेटा संबंधित है, जानकारी प्राप्त कर सकता है।**

आवेदक को कुछ मामलों में पहचान का अतिरिक्त सत्यापन प्रदान करने की भी आवश्यकता हो सकती है।"

4. आपको क्या जानकारी मिल सकती है?

आधार कार्ड

आप अपने आधार कार्ड के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्राप्त कर सकते हैं:

1. **ईआईडी संख्या प्रस्तुत करके आधार निर्माण/संख्या की स्थिति**
2. **लेखक पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण**
3. **प्रसंस्करण चरणों, प्रेषण और वितरण का विवरण|**

ड्राइविंग लाइसेंस

एक उदाहरण में श्री सुधीर सिंह बनाम दिल्ली पुलिस के मामले में, आरटीआई अधिनियम एक ऐसे आवेदक की सहायता के लिए आया जो ड्राइवर की नौकरी चाह रहा था, परंतु उसके ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन में अनुचित रूप से देरी हुई थी। सीआईसी ने मामले में तेजी लाने और अपीलकर्ता को अपने मामले की स्थिति के बारे में सूचित करने का फैसला सुनाया।

पासपोर्ट

पासपोर्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, विदेश मंत्रालय या पासपोर्ट कार्यालयों के कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग में एक आरटीआई आवेदन दायर किया जाना चाहिए। आप अपने आरटीआई आवेदन को उनकी वेबसाइट पर भी पता कर सकते हैं।

भारत संघ बनाम आर जयचंद्रन में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना था कि पासपोर्ट विवरण, जन्म प्रमाण पत्र की प्रतियां और शैक्षिक योग्यता के रिकॉर्ड की प्रतियां व्यक्तिगत जानकारी हैं, जिसके प्रकटीकरण से व्यक्तियों की गोपनीयता का अनुचित आक्रमण होगा। जब तक कि प्रकटीकरण के पक्ष में एक दबंग जनहित न हो।

पैन कार्ड

श्री एच.के.शर्मा बनाम आयकर विभाग में, सीआईसी ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी में व्यवसाय की प्रकृति, शेयरधारिता का प्रतिशत, धन का स्रोत, साझेदारी विवरण और योजना के संचालन से संबंधित मुद्दों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी शामिल है। जिन व्यवसायों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(i)(j) के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त थी।

सुशीला सिंह बनाम सीआईटी, बोकारो में भी सीआईसी ने माना कि पैन और खाता संख्या से संबंधित जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है जिसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत प्रकट करने से रोक दिया गया है। इसके अलावा, आयकर विभाग धारा 8(1)(ई) के संदर्भ में इस जानकारी को प्रत्ययी क्षमता में रखता है। इस जानकारी का खुलासा व्यापक जनहित में ही किया जा सकता है।
यह दर्शाता है कि एक आरटीआई आवेदन के तहत कोई केवल अपने स्वयं के दस्तावेज़ का विवरण प्राप्त कर सकता है। आरटीआई कानून के तहत खुद का ब्योरा हासिल करने पर कोई रोक नहीं है।

वोटर आईडी कार्ड , भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया

भारत निर्वाचन आयोग से जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकता है। आरटीआई उपयोगकर्ता पुस्तिका उसी के बारे में विवरण प्रदान करती है। सूचना की प्रकृति के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों या भारत के चुनाव आयोग से आरटीआई के तहत विवरण प्राप्त कर सकते हैं। मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में ऑनलाइन अपील दायर करने का भी प्रावधान है।

5. क्या करें और क्या न करें?

करें

i. प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करें जो पीआईओ के लिए आपके पहचान दस्तावेज को पहचानने और पहचानने में सहायक होगा।
ii. आपको केवल अपने स्वयं के पहचान दस्तावेज का विवरण मांगना चाहिए।

न करें

i. तीसरे पक्ष की जानकारी न लें क्योंकि यह आरटीआई अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है।

आरटीआई आवेदन का प्रारूप

आरटीआई आवेदन

31 अक्टूबर 2021

प्रति,
लोक सूचना अधिकारी,
यूआईडीएआई कार्यालय,
नई दिल्ली, भारत

महोदय,
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निम्नलिखित जानकारी मांगी गई है। कृपया प्रस्तुत करें:

1. **आधार कार्ड संख्या**

संबंधित जानकारी

नाम: XXX

जन्म तिथि: XX/XX/XXXX

मोबाइल नंबर: XXXXXXXXXX

भवदिय

_____
_____
_____

आवेदन निरस्त करने से पूर्व कृपया संज्ञान में ले
1. जरुरत पड़ने पर धारा 5 (3) के अंतर्गत युक्तियुक्त सहायता प्रदान करें "
2. यदि आवेदन के पूरा या समुचित भाग पर जानकारी इस विभाग के अधीन उपलब्ध नहीं है तो धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य उचित सूचना अधिकारी को अंतरित करने का कष्ट करें ।